

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062020-219997
CG-DL-E-18062020-219997

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]
No. 217]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

सं. बीईई/एस एंड एल/टीएफएल/63/2020-21.—जबकि प्रारूप विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2019, तारीख 06 नवंबर, 2019 को अधिसूचना संख्या बीईई / एस एंड एल / टीएफएल / 63 / 2019-20 द्वारा पूर्व प्रकाशित किए गए थे, जैसा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित है, जिसमें प्रारूप विनियमों में अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि में प्रभावित व्यक्तियों की ओर से आपत्तियों या सुझावों को आमंत्रित किया जाता है, जिसे संबंधित जनता को उपलब्ध कराया गया था;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 06 नवंबर, 2019 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उपरोक्त अवधि के अंदर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) और धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के साथ पठित धारा 14 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) अधिनियम, 2018 को संशोधित करके निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति), संशोधन विनियमन, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्पों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2018 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया) के विनियम 6 में, -

(i) उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप-विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुमति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञाधारक को हर ब्रांड के लिए अलग से पंजीकरण कराने के लिए प्ररूप 1 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके साथ एक लाख रुपए की लेबल प्रतिभूति फीस देय होगी, जो केवल भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय होगी।

परंतु लघु उद्योग के लिए लेबल प्रतिभूति शुल्क पच्चीस हजार रुपए होगा; ”

(ii) उप-विनियम (3) में खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(क) भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए की आवेदन फीस; और

“(ख) ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय पोर्टल पर प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को सम्यक सीलबंद रूप में और मुहर लगाकर अपलोड किया जाएगा;

परंतु, ऑनलाइन आवेदन की कोई हार्ड कॉपी, प्ररूप 1 और अन्य दस्तावेजों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है।”

(3) उक्त विनियमों के विनियम (7) में, उप विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) नवीकरण अनुमति के लिए अनुज्ञाधारक इसके समाप्त होने के छह महीने से पहले, लेकिन इसकी समाप्ति से तीन महीने पहले नहीं, आवेदन करेगा, और किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय एक हजार रुपए की फीस के साथ होगा। ”

(4) उक्त विनियमों की अनुसूची में, -

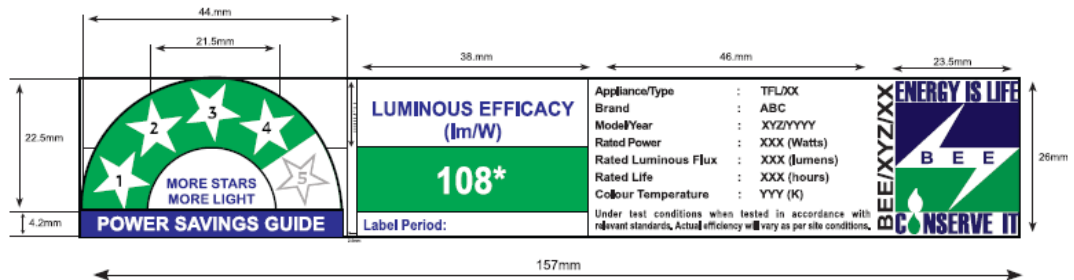
(क) पैरा (1) में,-

(I) उप पैरा (झ) के,-

(i) खंड (क) को लोप किया जाएगा;

खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) बाहरी आवरण या स्लीव पर लगाए जाने वाले लेबल के आयाम



टिप्पण : बाहरी आवरण के आकार के अनुसार लेबल के आयाम अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, बशर्ते कि लेबल के पहलू अनुपात समान बने रहें।

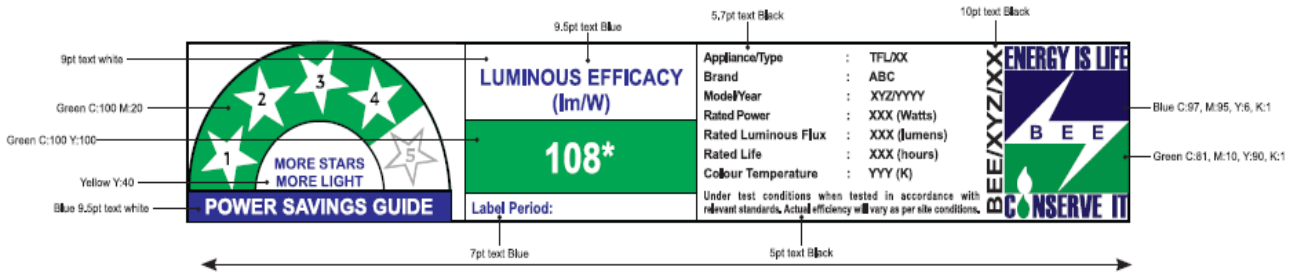
(ii) ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप पर मुद्रांकन करने के लिए लेबल का आकार



टिप्पण : लेबल के आयामों को ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप के व्यास के अनुसार अपेक्षाकृत कम किया जा सकता है, बशर्ते कि लेबल के पहलू अनुपात समान बने रहें।

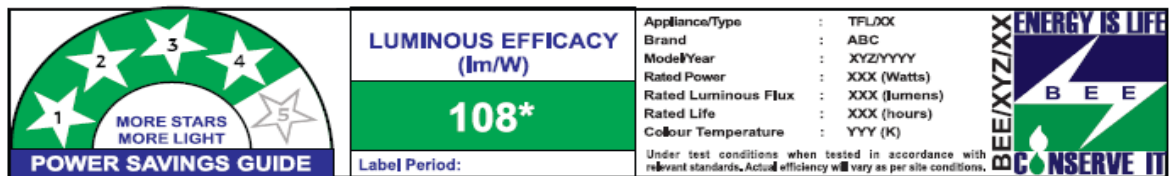
(II) उप पैरा (ii) में , -

- (i) खंड (क) को लोप किया जाएगा;
- (ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-



(ख) उपाबंध के प्ररूप II में, पैरा 3 में उप-पैरा (1) के, -

- (i) खंड (क) को लोप किया जाएगा;
- (ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-



पत्र में प्रदान किए गए अद्वितीय लेबल श्रृंखला कोड को ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप के बाहरी आवरण / स्लीव पर चिपकाए गए लेबल में उल्लिखित किया जाना है।

अभय बाकरे, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

[विज्ञापन-III/4/असा./78/2020-21]

टिप्पण : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2018 भारत के राजपत्र असाधारण भाग III खंड 4 में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/टीएफएल/63/2017-18 तारीख 09 मार्च, 2018 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2020

No. BEE/S&L/TFL/63/2020-21.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Amendment Regulations, 2019, were pre-published vide notification number No. BEE/S&L/TFL/63/2019-20, dated the 6th November, 2019, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the period of thirty days from the date on which the said notification containing the said draft regulations as published in the Official Gazette was made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 6th November, 2019;

And whereas no suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the aforesaid period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 and clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2018, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 6,-

(i) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) For the purposes of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), the permittee shall make online application as per Form I to register himself for every brand separately, accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that the label security fee for small scale industry shall be twenty-five thousand rupees.”;

(ii) in sub-regulation (3), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by any acceptable electronic mode of payment; and

“(b) the documents specified in Form I shall be duly sealed and stamped and uploaded on the portal while submitting application online:

Provided that no hard copy of such online application, Form I and other documents are required to be send to the office of Bureau.”.

3. In regulation 7 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

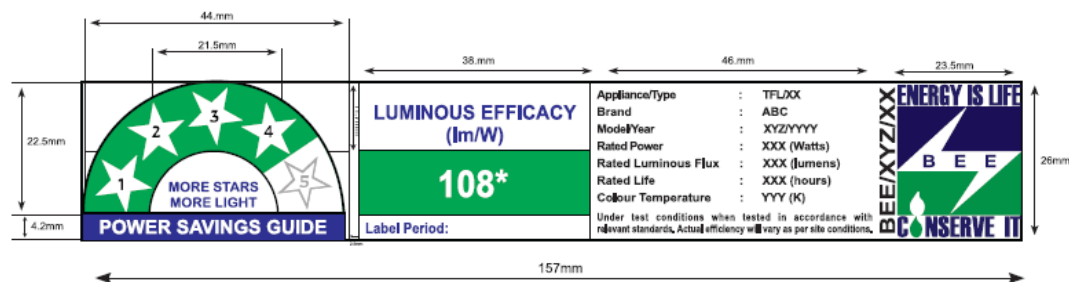
“(4) The permittee shall apply for renewal of permission before six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable by any acceptable electronic mode of payment.”.

4. In the Schedule to the said regulations,-

(A) in paragraph (1),-

(I) in sub-paragraph (i),-

- (i) clause (a) shall be omitted;
- (ii) for clause (b), the following shall be substituted, namely:-
- “(i) Dimension of the label to be affixed on outer casing or sleeve



Note: The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the size of the outer casing, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.

- (ii) Dimension of the label to be stamped on the tubular fluorescent lamp

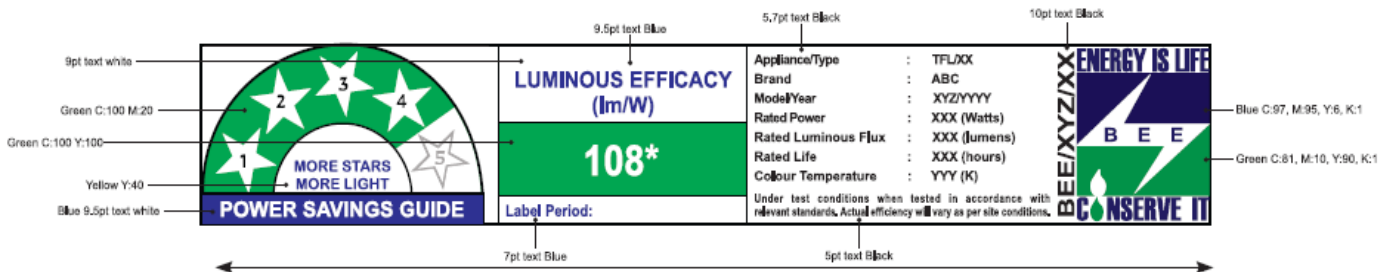


Note: The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the diameter of the tubular fluorescent lamp, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.”;

- (II) in sub-paragraph (ii),-

- (i) clause (a) shall be omitted;
- (ii) for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“



”;

- (B) in Form II, in the Annexure, in paragraph 3, in sub-paragraph (1),-

- (i) clause (a) shall be omitted;
- (ii) for clause (b) the following shall be substituted, namely:-

“

	LUMINOUS EFFICACY (lm/W) 108* Label Period:	Appliance Type : TFL/XX Brand : ABC Model/Year : XYZ/YYYY Rated Power : XXX (Watts) Rated Luminous Flux : XXX (lumens) Rated Life : XXX (hours) Colour Temperature : YYY (K) Under test conditions when tested in accordance with relevant standards. Actual efficiency will vary as per site conditions.	
---	--	--	---

The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the outer casing/ sleeve of the tubular fluorescent lamp.”.

ABHAY BAKRE, Director Gen. Bureau of Energy Efficiency

[ADVT.-III/4/Exty./78/2020-21]

Note: The Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 vide notification number No. BEE/S&L/TFL/63/2017-18, dated the 9th March, 2018.